



प्रेस नोट

दिनांक 13.08.2024

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा हत्या का वांछित बाल अपचारी पुलिस निगरानी में -

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 13.08.2024 को मसीदन पुलिया के पास वहद ग्राम मसीदन थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर से समय करीब 08:40 बजे थाना जलालपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 140/2024 धारा 103(1)/115(2) बीएनएस से सम्बन्धित, विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए वांछित बाल अपचारी (उम्र करीब 16 वर्ष) को थाना जलालपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 04.08.2024 को समय करीब 15:00 बजे थाना जलालपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धा साहू के खेत के पास ग्राम रहतियां थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर में गायत्री पुत्री चरन सिंह यादव (उम्र करीब 24 वर्ष) निवासिनी रहतिया थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर का शव संदिग्ध अवस्था में मृत पड़ा है। सूचना पर तत्काल थाना जलालपुर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए गए। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से करवाए जाने हेतु थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका के पिता चरन सिंह से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु टीमों का गठना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

पूछताछ के क्रम में बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि प्रतिदिन की भांति दिनांक 04.08.2024 को देवसिंह पुत्र गज्जी निवासी रहटिया थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर के खेत के पास वह मृतका के साथ बकरी (जानवर) चरा रहा था इसी दौरान उसके द्वारा मृतका गायत्री के साथ छेडछाड की गई व मृतका ने विरोध किया तो उसने गायत्री (मृतका) के गले में दुपट्टे से गला कस कर हत्या कर दी गयी थी। घटना कारित करने के बाद वह (बाल अपचारी) मौके से फरार हो गया था।

पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह
2. उ०नि० विजय मिश्रा
3. का० मनोज कुमार
4. का० अभिषेक मौर्य
5. का० अभिषेक रावत
6. का० सुनीत कुमार
7. म०आ० गुंजना